

एन डी सी सी भवन-II, चौथा तल, बी विंग

नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 17 मार्च, 2017

कार्यालय जापन

विषय : केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालयों द्वारा वर्ष 2016-17 (वित्तीय वर्ष) में प्रकाशित हिंदी गृह-पत्रिकाओं के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना।

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालयों द्वारा राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रचार-प्रसार के लिए समय - समय पर हिंदी गृह-पत्रिकाएँ प्रकाशित की जाती हैं। इन पत्रिकाओं के कलेवर, साज-सज्जा और लेखों की शैली में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

2 विभाग संकल्प सं. 11034/48/2014-रा.भा. (नीति), दिनांक 25 मार्च, 2015, के अनुपालन में हिंदी पत्रिकाओं को स्तरीय बनाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग द्वारा केंद्र सरकार के संगठनों द्वारा प्रकाशित हिंदी गृह-पत्रिकाओं के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रत्येक भाषाई क्षेत्र यथा 'क', 'ख' तथा 'ग' में इस योजना में दो-दो पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

3 पुरस्कारों के अंतर्गत शिल्ड और प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत नकद पुरस्कार देय नहीं हैं।

4 इस पुरस्कार योजना के पात्रता की न्यूनतम अर्हताएं निम्नवत हैं :-

(क) पत्रिका में कम से कम 40 पृष्ठ होने चाहिए।

(ख) हिंदी में पृष्ठों की संख्या कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या का कम-से-कम 80% होना चाहिए।


(ग) पत्रिका के 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 की अवधि के दौरान कम से कम 2 अंक प्रकाशित होने चाहिए।

5. मूल्यांकन पद्धति के मानक

इस वर्ष पत्रिका के मूल्यांकन के लिए अधिकतम 130 अंक रखे गये हैं। इन अंकों का विवरण इस प्रकार है -

क्र.सं	मद	अंक
1	पत्रिका की राजभाषा को बढ़ावा देने में उपयोगिता	20
2	सरकारी कामकाज में उपयोगिता	30
3	भाषा, शैली एवं प्रस्तुतिकरण	20
4	विन्यास, साज-सज्जा, कागज की गुणवत्ता एवं मुद्रण-स्तर	20
5	आंतरिक कार्मिकों द्वारा लेखों का अनुपात	10
6	छपे लेखों की मौलिकता	30
	कुल अंक	130

6. ऐसे समस्त मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय, सरकारी क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालय, जो इस पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र देने के इच्छुक हैं तथा पैरा 04 में उल्लिखित आर्हता की न्यूनतम शर्तें पूरी करते हैं, दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 31.03.2017 के बीच की अवधि में प्रकाशित गृह पत्रिका के श्रेष्ठ दो अंकों की 5-5 प्रतियां दिनांक 31.05.2017 (सायं 5 बजे) तक इस विभाग को भेजें। प्रविष्टियाँ भेजते समय इस जापन के साथ संलग्न प्रपत्र (अनुलग्नक) में वांछित सूचना पूर्ण व स्पष्ट रूप में भर कर भेजने की कृपा करें।

  
(डॉ. श्रीप्रकाश शुक्ल)

संयुक्त निदेशक (नीति/पत्रिका)

011-23438250

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों /विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायत्त निकाय/बैंक व वित्तीय संस्थाएं को इस निर्देश सहित की वे अपने दायित्व के क्षेत्र में पात्र संगठनों के मुख्यालयों में इस योजना का तात्कालिक व प्रभावी प्रसार करें। यह भी अनुरोध है कि इस कार्यालय जापन को प्रभावी प्रसार के लिए अपने-अपने वेबसाईट पर अपलोड करें।
2. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक (कार्यान्वयन)/प्रभारी अधिकारी, सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग को इस निर्देश सहित की वे अपने दायित्व के क्षेत्र में पात्र संगठनों के मुख्यालयों में इस योजना का तात्कालिक व प्रभावी प्रसार करें।

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
राजभाषा विभाग

केंद्र सरकार के मंत्रालयों / विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालयों द्वारा वर्ष 2016-17 (वित्तीय वर्ष) में प्रकाशित हिंदी गृह-पत्रिकाओं के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना से संबंधित प्रपत्र ।

1. मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय/सरकारी क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्था का नाम.....
2. नोडल अधिकारी का नाम व पदनाम (जिससे अतिरिक्त सूचनार्थ किसी बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट कराने हेतु संपर्क किया जा सके).....
3. मुख्यालय का पूरा डाक पता (पिन सहित).....
4. नोडल अधिकारी का ई-मेल आईडी .....
5. नोडल अधिकारी का दूरभाष .....
6. नोडल अधिकारी का मोबाइल सं.....
7. नोडल अधिकारी का फैक्स सं.....
8. भाषाई क्षेत्र की श्रेणी (क, ख तथा ग ) .....
9. गृह पत्रिका का नाम : .....

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि .....(संगठन का नाम)  
द्वारा प्रकाशित ..... (गृह पत्रिका का नाम) राजभाषा  
विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के गृह पत्रिका योजना, 2016-17 में भाग लेने के लिए  
निर्धारित पात्रता मापदण्डों के अनुरूप है ।

संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

नाम.....

(पूरा नाम साफ शब्दों में लिखें)

पदनाम .....

मोहर

स्थान .....

तारीख .....